निगरानी 609

118

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–दतिया निगरानी 609-I-15

अकरम खॉ पुत्र श्री रसीद खॉ निवासी– सायनी मोहल्ला तहसील गुदरी गली दतिया तहसील व जिला– दतिया (म.प्र.)

––आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर जिला–दतिया (म.प्र.)

2– श्रीमती जैतून पत्नी स्व. श्री अलीमखान निवासी सायनी मोहल्ला जिला दतिया (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

आज दि. 24.3.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 24-3-15

<u>न्यायालय तहसीलदार, वृत दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अ–68 /2014–15 में पारित आदेश पत्रिका एवं कार्यवाही के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

24/3/15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 609/एक/2015 जिला–दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19.7.16.	यह निगरानी आवेदक द्वारा तहसीलदार वृत दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अ–68/2014–15 में की जा रही कार्यवाही के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा तहसीलदार वृत दतिया के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया। कि उसके मकान के सामने शासकीय आम रास्ता की जगह पड़ी थी शासकीय आम रास्ता का नजूल शीट क्रमांक 23 एवं भूखण्ड क्रमांक 278 है, जिसपर बाउण्ड्री बॉल बनवाकर आवेदक द्वारा शासकीय रास्ता अवरोध कर निर्माण कार्य किया है। जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर एन.एम.एस नजूल दतिया की रिपोर्ट के आधार पर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिसके विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है, 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने गये। तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4– न्यायालय तहसीलदार वृत दतिया के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को कारण बताओ	

सूचना पत्र एन.एम.एस नजूल दतिया के एक पक्षीय जॉच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है, जबकि एक पक्षीय रिपोर्ट अथवा प्रतिवेदन साक्ष्य में ग्राह्य योग्य ही नहीं है। जबतक कि प्रतिपक्ष को ऐसी रिपोर्ट पर सुनवाई का विधिवत् अवसर प्रदान न कर दिया जाये। चूकि इस प्रकरण में जो सूचना पत्र जारी किया है उसका विधिवत् जबाव आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था एवं बताया था कि उसके द्वारा भूखण्ड क्रमांक 278 रकवा 220 में से 11.33 वर्गमीटर म.प्र. शासन की शासकीय नजूल भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है प्रार्थी द्वारा जो निर्माण किया है वह अपने स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि पर किया है, जो उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से दिनांक 31.07.1992 को क्रय की गयी है। उक्त मकानियत क्रय करने के पश्चात् उसके द्वारा विधिवत् रूप से नगर पालिका परिषद दतिया में नामान्तरण करवाया था तथा भवन निर्माण की स्वीकृति दिनांक 08.08.2013 को प्राप्त की गयी थी तथा कलेक्टर नजूल शाखा दतिया द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 22.03.2013 को जारी किया है उनके द्वारा क्रय किये गये मकानियत के संबंध में द्वितीय व्यवहार न्यायधीश वर्ग–2 दतिया के न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन है ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय के निराकरण तक राजस्व न्यायालय की कार्यवाही स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया था। उपरोक्त स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नही किया और आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। जो त्रुटि पूर्ण है क्योंकि व्यवहार न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही के निराकरण तक राजस्व न्यायालय की कार्यवाही स्थगित

की जाती है। ऐसी स्थिति में आवेदक को तहसीलदार वृत दतिया द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार वृत दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अ–68/2014–15 में जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 26.09.2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव तहसीलदार वृत दतिया को निर्देशित किया जाता है, कि वह व्यवहार न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के निराकरण तक राजस्व न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित रखे। इसी निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य